



**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)**  
**पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :-36/2018**

**बउनवान**

रमेश पुत्र राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी पटना तहसील अटरू जिला बारां

**(अपीलांट)**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अटरू जिला बारां

**(रेस्पोंडेन्ट)**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :- 1- श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक  
2- पेरोकार सरकार

**(अपीलांट)**

**(रेस्पोंडेन्ट)**

**निर्णय दिनांक 22.05.2019**

अपीलांट ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 29/2017 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम पटना की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 627 की रकबा 0.20 हेक्टर भूमि पर मकान व पत्थर कोट कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 100/- रुपये अर्धदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 15.02.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम पश्चातवर्ती अतिक्रमी के जारी नोटिस की तामील जमनालाल, प्रहलाद के हस्ताक्षर करवाकर की गई है। उक्त व्यक्ति कौन है उनका अपीलांट से क्या सम्बन्ध है यह नहीं दर्शाया गया है। इसलिए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का विधि अनुरूप पूर्ण अवसर नहीं मिला है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना, स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना, पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट के नाम अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जारी सम्मन पर प्राप्ति के हस्ताक्षर अपीलांट के न होकर अन्य किसी व्यक्ति के है। इसलिये अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी गई है तथा अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया नहीं है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.02.2018 को पुलिस तलाशने गांव में आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 07.02.2018 को आवेदन पेश कर दिनांक 08.02.2018 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से

अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर मकान व पत्थर कोट कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको न्यायालय के प्रकरण संख्या 338 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 पर दिये गये आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामील जमनालाल, प्रहलाद के हस्ताक्षर करवाकर की गई है। उक्त व्यक्ति कौन है उनका अपीलांट से क्या सम्बन्ध है यह नहीं दर्शाया गया है। इसलिए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का विधि अनुरूप पूर्ण अवसर नहीं मिला है। जिससे अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये हैं और अपीलार्थी को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में 7 दिवस में जाँच करे, कि अपीलांट के नाम आप द्वारा जारी पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के नोटिस की तामील जिस व्यक्ति जमनालाल, प्रहलाद को करवाई गयी है। उक्त व्यक्ति का अपीलांट से क्या सम्बन्ध है। यदि जमनालाल, प्रहलाद अपीलांट के परिवार के सदस्य हैं, तो आप द्वारा प्रकरण संख्या 29/2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम रमेश में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 यथावत रखा जाता है। यदि जमनालाल, प्रहलाद अपीलांट के परिवार के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति जाँच में पाये जाते हैं। तो आप द्वारा प्रकरण संख्या 29/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ आपको प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के नाम पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस जारी किया जाकर, तामील प्रोपर करवाई जाकर विधिवत सुनवाई की जाकर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
अति० जिला कलक्टर,  
बारां